16.06.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। वाद प्रस्तुतकर्ता वर्णित भूमि, जो कि मंदिर माफी की भूमि है, उसके रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं, बल्कि ग्रामवासी हैं, जिन्होंने लोकहित में यह वाद प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जवाब का अवलोकन कर बहस पर मनन उपरांत न्यायालय को यह लगता है कि यह वाद विधिक रूप से पोषणीय ना होने के कारण खारिज योग्य व निरस्तनीय है व वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के पात्र नहीं हैं। परंतु, मंदिर माफी की भूमि का दुरुपयोग रोका जाकर उसका संरक्षण करना राजस्व न्यायालय का एक अति महत्वपूर्ण दायित्व भी है। ग्रामवासियों को लोकहित में यह संशय है कि मंदिर माफी की भूमि व संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। इस संदर्भ में न्यायालय यह विवेचना करना न्यायोचित समझता है कि जमाबंदी में रेकार्डेड मंदिर माफी भूमि का पुजारी उसकी मात्र सार-संभाल के लिए संरक्षक मात्र है व उसके संसाधनों का [illegible] हित क्रमशः ----

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.09.22 11:51:27 IST
Reason: SelfAttested

...ायवाही।

- पीछे से निरंतर .--

में उपयोग-उपभोग करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह न्यायालय इस विवादित के साथ पुजारी/अन्य संरक्षकों को इस हेतु पाबंद किया जाना उचित समझता है कि मंदिर माफी जमीन को उन्नत किया जाना एक सामान्य व उचित प्रक्रिया है, परंतु इस प्रयास में मंदिर माफी भूमि के संसाधन जैसे- मिट्टी, पेड़ व मंदिर में रखे बर्तन/अन्य सामग्री का निजी प्रयोजनार्थ उपयोग-उपभोग ना किया जाये। न्यायालय यह आदेश करना आवश्यक समझता है कि इन संसाधनों का इसी मंदिर माफी भूमि को उन्नत करने में उपयोग किया जाये व इस भूमि की सीमा से बाहर इन संसाधनों का आवागमन ना हो। दावा स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.09.22 11:51:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक